कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email id: dmusn.1995@gmail.com फोन नं0–05944–242344 / फैक्स नं0–05944–250408

पत्र संख्या– 5175 / न्या0अनु0–(7) / विविध / (30 / 2) / 2021–22 दिनांक 22 मई,2024

सेवा में,

श्री नीरज,
एडवोकेट आन रिकार्ड चैम्बर नं0 160,
लोयर चैम्बर पटियाला हाउस कोर्ट,
नई दिल्ली।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–147 / 2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–147 / 2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके बिन्दु संख्या–08 निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:–

Notices be served on respondents no. 1 to 10 through the District Magistrate, Udham Singh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 1 to 10 be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and senting his report in this regard.

उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तक को प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने हेतु नोटिस तामिल करा दिये गये है(तामिली रिर्पोट संलग्न)।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर के कार्यालय पत्र दिनांक 18.05.2024 से संयुक्त समिति की जॉच आख्या संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को प्रेषित की गयी है जिसके अन्तिम पैरा में उल्लेख किया गया है कि कम पाये गये कुल 176 वृक्षों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

उक्त के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल एवं मुख्य उद्यान अधिकारी उधमसिंहनगर से आख्या प्राप्त की गयी जो निम्नानुसार है:–

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.05.2024 से अवगत कराया गया है कुल 176 वृक्षों जिसमें आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया गया है। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए वन अपराध सं0 03 / काशी0 / 2024–2025 पंजीकृत किया गया है तथा जॉच कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देश जारी कर दिये गये है।

मुख्य उद्यान अधिकारी उधमसिंहनगर अपने कार्यालय पत्र सं0–225 दिनांक 2022.05.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर के वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु वन विभाग को आवश्यक सहयोग करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल एवं मुख्य उद्यान अधिकारी उधमसिंहनगर की जॉच आख्या संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न यथोपरि

भवदीय,

(उदयराज सिंह)
जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

कार्यालयः— मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन रूद्रपुर।
☎ / 🖷:—05944—250447— Email-horti.usn@gmail.com

80

पत्रांक 225 /NGT/2024—25, दिनाँक 22/05/2024

सेवा में

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46वीं
आई0टी0 पार्क सहस्त्र धारा रोड देहरादून।

विषयः— **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 यू0के0पी0सी0वी0/एच.ओ./सा0—183—757/2024 248/दिनॉक 21.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे।

उक्त पत्र में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा गठित टीम के निरीक्षण दिनॉक 26.09.2023 को विषयगत स्थल में की गयी वृक्षों की गणना तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित कमेटी के निरीक्षण दिनॉक 08.05.2024 एवं 10.05.2024 में की गयी वृक्षों की गणना में कुल 176 वृक्ष कम पाये गये के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गयी हैं। उक्त प्रकरण में गठित कमेटी के सदस्यो द्वारा दिनॉक 16.04.2024, 08.05.2024 एवं 10.05.2024 को Factual and Action Taken Reports तैयार की गयी हैं।

उक्त रिपोर्ट में कुल 176 वृक्षों जिसमें आम 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष एवं नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया हैं। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही करते हुए वन विभाग द्वारा वन अपराध सं0 03/काशी0/2024—25, पंजीकृत किया गया हैं तथा उक्त के सम्बन्ध में पत्रांक 223/एन0जी0टी0/2024—25, दिनॉक 22.05.2024 के द्वारा प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर को वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु वन विभाग को आवश्यक सहयोग करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीया,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिह नगर।

पत्रांक /उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर नैनीताल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्री कार्यालय काशीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय ऊधमसिंहनगर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,

कार्यालयः— मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन रूद्रपुर।

☎ / 🖷:—05944—250447— Email-hortl.usn@gmail.com

पत्रांक 223 /NGT/2024—25, दिनाँक 22/05/2024

प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर
जनपदः—ऊधमसिंहनगर।

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46वीं आई0टी0 पार्क सहस्त्र धारा रोड देहरादून के पत्र सं0 यू0के0पी0सी0वी0/एच.ओ./सा0—183—757/2024 248/दिनॉक 21.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा गठित टीम के निरीक्षण दिनॉक 26.09.2023 को विषयगत स्थल में की गयी वृक्षों की गणना तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित कमेटी के निरीक्षण दिनॉक 08.05.2024 एवं 10.05.2024 में की गयी वृक्षों की गणना में कुल 176 वृक्ष कम पाये गये के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गयी हैं। उक्त प्रकरण में गठित कमेटी के सदस्यो द्वारा दिनॉक 16.04.2024, 08.05.2024 एवं 10.05.2024 को Factual and Action Taken Reports तैयार की गयी हैं।

उक्त रिपोर्ट में कुल 176 वृक्षों जिसमें आम 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष एवं नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया हैं। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही करते हुए वन विभाग द्वारा वन अपराध सं0 03/काशी0/2024—25, पंजीकृत किया गया हैं तथा जॉच कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। आपको निर्देशित किया जाता हैं, कि आप वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु वन विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिह नगर।

पत्रांक /उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर नैनीताल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय ऊधमसिंहनगर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिह नगर।

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

Email-tehsildardarkashipur@gmail.com
दूरभाष / फैक्स संख्या–05947–274026

पत्र संख्याः– 1791 / ना0ना0 / 2024

दिनांकः21 –05–2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–147 / 2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द आर्या एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 क अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0–7606 / न्याय0अनु0–7 / 2024 दिनांक 08 मई, 2024 के साथ संलग्न मा0 एन0जी0टी0 मे योजित मूल आवेदक सं0–147 / 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस पटल पर दिनांक 21.05.2024 को प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा सम्बन्धित प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 तक को नोटिस दिनांक 24.05.2024 तक तामील करा कर तामीली आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

प्राप्त निर्देशों के कम में सादर अवगत कराना है कि उक्त पत्र के साथ सलग्न एन0जी0टी0 की सूची के कम सं0 1 पर अंकित श्री रमेश चन्द्र आर्य रामनगर नैनीताल के मोवाईल नं0 9837417758 पर वार्ता कर WHATS APP पर भेज दी गई है, कम 02 पर डा0 भावना जोशी आवास विकास उधमसिहनगर के मोवाईल नं0 8192939276 पर वार्ता कर WHATS APP पर भेज दी गई है, कम 03 कार्यालय उपजिलाधिकारी काशीपुर मे प्राप्त करा दी गई है जिसके हस्ताक्षर सूची पर अंकित है कम 04 कार्यालय तहसील काशीपुर मे प्राप्त करा दी गयी है जिसके हस्ताक्षर सूची पर अंकित है कम सं0 05 राम सिह सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक काशीपुर को प्राप्त करा दी गई है जिसके हस्ताक्षर सूची पर अंकित है, कम सं0 06,07,08 नकुल कुमार गुप्ता, सुधीर कुमार गुप्ता, मनीष कुमार गुप्ता के मुन्शी अनिल कुमार मो0न0 9927773210 पर वार्ता कर WHATS APP पर भेज दी गई है, इस के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पंजिकृत डाक से भी प्रेषित की जा चुकी है, कम सं0 09 इशरत अली के मो0न0 9927773210 पर वार्ता कर WHATS APP पर भेज दी गई है, एवं कम सं0 10 निर्मला मनौला राजस्व उप निरीक्षक को प्राप्त करा दी गई है जिसके हस्ताक्षर सूची पर दर्ज है।

तामीली आख्या मूल सलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

भवदीय

21/5/24

तहसीलदार काशीपुर।

प्रतिलिपिः–उप जिलाधिकारी, महोदय काशीपुर की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार काशीपुर।

Scanned with CamScanner

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/
अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email id: dmusn.1995@gmail.com फोन नं0–05944–242344/ फैक्स नं0–05944–250408

पत्र संख्या 7606 /न्याय अनु0–7/2024, दिनांक 08 मई,2024

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
काशीपुर।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 का अनुपालन किया जाना है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई दिनांक 25.04.2024 नियत की गयी है। प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तक को नोटिस तामिली हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुए है, जिसमें प्रतिवादियों को अपना–अपना प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये है।

अतः उक्त नोटिस की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तक को नोटिस तामिल कराते हुए स्वयं का प्रतिउत्तर भी दाखिल करने का कष्ट करे।

संलग्नः–यथोपरि

321
21/5/024

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

Scanned with CamScanner

"By Email"

National Green Tribunal
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001

No. NGT/Judicial/OA/147-2024/

Dated: 06.05.2024

To

District Magistrate, Udham Singh Nagar
Collectorate Compound, Rudrapur
Udham Singh Nagar, Uttarakhand
Email: dm-usn-ua@nic.in

Sub: Service of Notice dated 06.05.2024 to Respondent (R-1 & R-10 as per Notice Copy enclosed) in Original Application No. 147/2024 titled "Hardeep Sharma Vs Ramesh Chand Aarya & Ors. "-reg.

Sir,

The aforesaid application was listed before the Tribunal on 25.04.2024, when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"8. Notices be served on respondents no. 1 to 10 through the District Magistrate, Udham Singh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 1 to 10 be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard
9. List the matter on 24.05.2024 for further consideration."

2. In pursuance of the order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble Tribunal, notice dated 06.05.2024, is enclosed with the request to serve the said notice to Respondent (R-1 & R-10 as per Notice Copy enclosed) mentioned in the notice & send the service report.

With regards

6/5/2024

Consultant (Judicial).
National Green Tribunal

Encl: As stated above.

Scanned with CamScanner

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 147/2024

Hardeep Sharma Vs Ramesh Chand Aarya & Ors.

To

1. **Ramesh Chand Arya**
   Ramnagar, Nainital, Uttarakhand-244715 ....**RESPONDENT No. 1**
   Email: dforamnagar@gmail.com

2. **Dr. Bhavana Joshi**
   Vikas Bhawan, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-263153 ....**RESPONDENT No. 2**
   Email: chousnagar@gmail.com

3. **Abhay Pratap Singh**
   Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-244713 ....**RESPONDENT No. 3** 21/5/24
   Email: sdmksp@gmail.com

4. **Pankaj Chandola**
   Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-244713 ....**RESPONDENT No. 4** 21/5/24
   Email: tehseeldarksp@gmail.com

5. **Ram Singh**
   Tehseel Kashipur, Udham Singh Nahar, Uttarakhand-244713 ....**RESPONDENT No. 5** 21/5/2024
   Email: ramsinghksp@gmail.com 8938000561

6. **Nakul Kumar Gupta**
   31-A, Asahoka Avenue, South Delhi- 110062, Delhi ....**RESPONDENT No. 6**
   Email: nakulgupta@gmail.com

7. **Sudhir Kumar Gupta**
   31-A, Asahoka Avenue, South Delhi- 110062, Delhi ....**RESPONDENT No. 7**
   Email: sudhirgupta@gmail.com

8. **Manish Kumar Gupta**
   31-A, Asahoka Avenue, South Delhi- 110062, Delhi ....**RESPONDENT No. 8**
   Email: manishgupta@gmail.com

9. **Israt Ali**
   Kashipur. Udham Singh Nagar, Uttarakhand-244713 ....**RESPONDENT No. 9**
   Email: israt@gmail.com

10. **Nirmala Manola**
    Tehseel Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-244713 ....**RESPONDENT No. 10** 21-5-2024
    Email: nirmala@gmail.com 9760015023

Scanned with CamScanner

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Chamunda Complex, Ramnagar Road
Kashipur, US Nagar,

पंत्राक-यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./2024/ रिट-90/ 84 दिनांक 18/5/24

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन मे संयुक्त जांच आख्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-UKPCB/ROK/सा0-183-757/2024/1534 दिनांक 02.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 तथा 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित स्थल का निरीक्षण दिनांक 16.04.2024, 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया।

अतः संयुक्त जांच आख्या समस्त संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

18/5/24

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल।
3. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
4. श्री रुना उरौव, वैज्ञानिक घ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी काशीपुर।
6. जिला उद्यान अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
7. श्री संदीप गिरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर ऊधमसिंहनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में दिनांक 15.02.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constituted a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associates the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. the State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रकरण पर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी, काशीपुर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित प्रतिनिधि श्री रूना उरौव, वैज्ञानिक घ, प्रभागीय वनाधिकार, प्रभागीय वन प्रभाग तराई पश्चिमी, रामनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री संदीप गिरी, उपप्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16.04.2024 को शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामी की ओर से श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया (उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-1)।

निरीक्षण की दिनांक 16.04.2024 को उक्त भू-खण्ड पर पेड़ो/पौधों की संख्या की गिनती राजस्व व अन्य विभागों के दिनांक 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिंहनगर संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के निर्वाचन दायित्वों में लगे होने के कारण नहीं की जा सकी।

दिनांक 25.04.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण पर निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"Report of the joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

उपरोक्त आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विषयगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया(उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-2)।

संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् है-

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि, ग्राम चांदपुर, त0-काशीपुर के भू-खण्ड, खाता संख्या-00027, 00125, 00126 व 00208 में कुल रकबा 9.910 हैक्टेअर पर लगभग चारो ओर बाउन्ड्रीवाल की गयी है। उक्त भू-खण्ड के मध्य में भू-स्वामी का पुराना मकान/कोठी है, जिसे अन्य भू-खण्ड से पृथक करते हुए बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष भू-खण्ड, जो कि उक्त मकान/कोठी के बायें व दाहिनी तरफ स्थित है, पर लगभग 60 फिट, 35 फिट, 25 फिट चौड़ी आदि आर.सी.सी. निर्मित सड़कों का निर्माण किया गया है। उक्त भू-खण्ड पर सडक निर्माण तथा गेट निर्माण का कार्य एवं भूखण्ड के दो प्लाटो पर भवन निर्माण का कार्य चलता हुआ पाया गया। उक्त भू-खण्डों पर आम, लीची, नाशपाती सहित अन्य छोटे-बडे वृक्ष भी पाये गये।

2. उक्त खाता संख्या-00027, 00125, 00126, 00208, कुल रकबा 9.910 हैक्टेअर भूमि में वर्ष 2021 से पूर्व खाता संख्या-00027, में श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00126 में श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00125, श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, नकुल कुमार पुत्र श्री महेश कुमार, खाता संख्या-00208, श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव के नाम पर दर्ज थी। श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव तथा श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव की मृत्यु के पश्चात वर्ष-2021 में उक्त भू-खण्ड श्री नकुल कमुार, श्री सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार, श्रीमति राजेश गुप्ता तथा श्री सुरेश कुमार के नाम दर्ज हो गयी। जो कि वर्तमान में अनेक छोटे-बडे भू-खण्डों में विकित होकर लगभग 72 भू-स्वामियों के नाम दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूखण्डों में खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-150 कुल रकबा-1.088 हैक्टेयर भूमि अकृषक दर्ज है, शेष कृषि भूमि दर्ज है।
(खतौनी संलग्न, संलग्नक-3)।

3. उक्त भू-खण्ड स्वामियों श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 में लीची के 25 वृक्षों तथा खसरा संख्या-157 आम के 50 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार श्री नुकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147 में आम के 60 वृक्षों के पातन तथा श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 में आम के 50 वृक्षों के पातन हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया (प्रार्थना पत्रों की छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-4)।

4. उक्त प्रार्थना पत्रों के अनुक्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु अपने पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147, खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 तथा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 पर आम के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी (संलग्नक-5)।

   1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
   2. श्री आर.डी. भट्ट, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।

3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

इसके अतिरिक्त दिनांक 22.08.2022 को खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 में लीची के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नानुसार 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी-(संलग्नक-6)

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
2. श्री गोपाल राम, सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु दिनांक 19.12.2022 को श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक तथा श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें वृक्षों के पातन न किये जाने की संस्तुति की गयी। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या-5 में बाग में कुल वृक्षों की संख्या निम्नानुसार अवगत करायी गयी (संलग्नक-7)।

1. आम के वृक्ष-718(278 आम वृक्ष लगभग 50 साल, शेष वृक्ष 2 साल से 10 साल)।
2. लीची के वृक्ष-334(लीची वृक्ष की आयु 6 साल से 35 साल)।
3. नाशपाती के वृक्ष-48(नाशपाती वृक्ष लगभग 6 साल)।
4. कटहल के वृक्ष-01(कटहल वृक्ष 15 साल)।

उपरोक्तानुसार कुल वृक्षों की संख्या 1101 है।

5. उक्त निरीक्षण दिनांक 19.12.2022 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के विरूद्ध प्रार्थीयों द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंनगर को दिनांक 28.12.2022 को आपत्तियां प्रस्तुत करते हुये पुनः स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन के क्रम में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बाग काफी बड़ा होने एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समीति गठित कर संयुक्त निरीक्षण कराये जाने हेतु दिनांक 03.01.2023 को संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, काशीपुर को पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक-8)।

6. उक्त अनुरोध के क्रम में तहसीलदार, काशीपुर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को श्री राम सिंह, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर, कु0 निर्मला मनौला, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर तथा उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों श्री रेवाधर भट्ट तथा श्री शंकर लाल कोहली को संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-9)।

7. उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.01.2023 तथा 22.01.2023 को सम्बन्धित स्थलों का निरीक्षण करते हुए अपनी जांच रिपोर्टें तहसीलदार, काशीपुर के माध्यम से दिनांक 17.01.2023 व 31.01.2023 को मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रेषित की गयी (संलग्नक-10)

8. उक्त जांच आख्याओं के आधार पर आवेदित खसरा संख्याओं में आम के कुल-128 वृक्ष तथा लीची के कुल-22 वृक्षों के पातन की सशर्त अनुमति जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 19.01.2023 तथा 06.02.2023 को निर्गत की गयी (संलग्नक-11)।

9. उक्त पातन के सम्बन्ध में सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में वन विभाग द्वारा की गयी जांच के आधार पर 150 वृक्षों के पातन की स्वीकृति के अतिरिक्त 88 वृक्षों के बिना अनुमति पातन पर वन विभाग द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा -4 व 10 के अन्तर्गत रू0 4,40,000/- का जुर्माना आरोपित किये जाने एवं वसूले जाने की सूचना दिनांक 19.07.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को दी गयी (संलग्नक-12)।

10. इससे पूर्व सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में उद्यान विभाग के श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी तथा श्री दिवाकर पाण्डे, सहायक विकास अधिकारी द्वारा उक्त बाग का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 24.05.2023 तक कुल जीवित पौधों की संख्या-531, काटे गये पेड़ो की संख्या-470 अवगत करायी गयी (जिसमें 150 वृक्षों की अनुमति तथा बिना अनुमति के काटे गये 88 वृक्ष भी सम्मिलित हैं)। इसके अतिरिक्त प्लाटिंग के अन्दर 90 प्रतिशत हानि पहुंचाये गये वृक्षों की संख्या 178 भी अवगत करायी गयी (संलग्नक-13)।

11. राजस्व विभाग के फसली वर्ष 1430 (2022-2023) के खसरा नकल के अनुसार उक्त भूखण्ड पर आम के 505 वृक्ष, लीची के 320 वृक्ष, नाशपती के 50 वृक्ष, कटहल के 2 वृक्ष तथा अन्य 16 वृक्ष दर्ज अभिलेख है। नकल की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-14)।

12. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा दिनांक 26.09.2023 को सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा (मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, के आवेदक) तथा भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें उपजिलाधिकारी, काशीपुर; मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर;, उपप्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर;, वनक्षेत्राधिकारी, काशीपुर;, तहसीलदार, काशीपुर सहित राजस्व विभाग, वन विभाग व उद्यान विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। संयुक्त टीम द्वारा वृक्षों की गणना की गयी। तत्समय मौके पर खड़े एवं जीवित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी (संलग्नक-15)।

    1. आम-505
    2. लीची-320
    3. नाशपाती-50
    4. कटहल-2
    5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-879 वृक्ष पाये गये।

उक्त योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, मे पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों की उपस्थिति में

सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को करते हुये उक्त भू-खण्ड में वृक्षों की गणना की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर खड़े वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी। (संलग्नक-16)।

1. आम-411 (13 वृक्ष सूखे एवं अन्य जीवित)
2. लीची-263
3. नाशपाती-25
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-703 वृक्ष पाये गये।

उक्त सम्पूर्ण भू-खण्ड में की गयी फलदार वृक्षों की गणना के अनुसार वर्तमान में दिनांक 26.09.2023 को की गयी गणना के सापेक्ष आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष, कुल-176 वृक्ष कम पाये गये। इस सम्बन्ध में भू-खण्ड स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त में से 165 वृक्षों को अन्यंत्र प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा वृक्षारोपण, जन सेवा समीति (रजि0) नामक संस्था का पत्र प्रस्तुत कराया गया है(संलग्नक-17)। उक्त सम्बन्ध में वृक्षों के अन्यंत्र प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में भू-स्वामियों द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। वन विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि वृक्षों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी नियम विद्यमान नहीं है। इस संबंध में उपरोक्तानुसार, कम पाये गये कुल 176 वृक्षो के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय काशीपुर द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2021 प्राप्त कराया गया है (संलग्नक-18)। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार उक्त चांदपुर ग्राम विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रस्तुत है

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर,
उधमसिंनगर।

(संदीप गिरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, जसपुर,
उधमसिंहनगर।

(रूना उरौव)
वैज्ञानिक 'घ'
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।

(अभय प्रताप सिंह)
उप जिलाधिकारी
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

92

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)
Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotaraiwest@ gmail.com

पत्रांक – 5504 / 29–3 दिनांक, रामनगर 22-05- 2024

सेवा में,

श्री नीरज,
एडवोकेट आन रिकार्ड, चैम्बर नं0 160,
लोयर चैम्बर पटियाला हाउस कोर्ट,
नई दिल्ली, 01

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य अन्य के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि हरदीप शर्मा द्वारा मा0 एन0जी0टी में मूल आवेदन संख्या 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य अन्य दायर किया गया, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवादी सं0 12 बनया गया है। उक्त वाद की सुनवाई मा0 एन0जीटी0 में दिनांक 15.02.2024 को हुयी, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैः–

" 5. *In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, DFO, Udham O.A. No. 17/2024 Hardeep Sharma. Vs. Ramesh Chand Aarya & Ors. -5- Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

6. *Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

7. *List the matter on 25.04.2024 for further consideration."*

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ/सा0–183–757/2024/1534 दिनांक 02.03.2024 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में *Factual and Action taken Report* दो मॉह के अन्तर्गत दाखिल करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा काम्पलेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर को नामित किया गया तथा उक्त पत्र में उनके द्वारा इस प्रभाग से भी विषयगत प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने हेतु अनुरोध किया गया।

मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन तथा उपरोक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय की पत्र सं0 4170/23–2 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर को उक्त प्रकरण में Factual and Action Taken Report उपलब्ध कराने हेतु गठित कमेटी के सदस्यों के रूप में नामित किया गया।

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी (प्रदूषण) ने सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को पत्र सं0 यू0के0पी0सी0बी0/आर0ओ0के0 रिट 90/24/दिनांक 22.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि–

" उक्त प्रकरण में जिला प्रशासन उधमसिहनगर, वन विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.04.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परन्तु 19.04.2024 को नैनीताल–उधमसिहनगर में संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामन्य निर्वाचन 2024 का मतदान होना तय था। अतः निर्वाचन दायित्व में लगे होने के कारण अन्य विभागों, शिकायतकर्ताओं तथा अन्य से समन्वय कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है। अतः सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 में व्यस्तता के कारण प्रकरण पर रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।"

क्षेत्रीय अधिकारी (प्रदूषण) द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की मॉग की गयी है। उक्त कारणों से मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 25.04.2024 को जवाब दाखिल नही हो सका।

उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 25.04.2024 को मा0 एन0जी0टी0 मे हुयी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.04.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है:–

" 3. *Report of the Joint Committee has not been filed so far.*

4. *As per office report respondents no. 11 to 14 have been duly served but replies/responses have not been filed by respondents no. 11 to 14.*

5. *Report of the Joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

6. *As per office report notices have been sent to respondents no. 1 to 10 by speed post but the same are not stated to have been delivered to them.*

7. *Notices be issued again to respondents no. 1 to 10 requiring them to file their replies/responses within two months as directed above.*

8. *Notices be served on respondents no. 1 to 10 through the District Magistrate, Udham Singh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 1 to 10 be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.*

9. *List the matter on 24.05.2024 for further consideration.*

10. *A copy of this order be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by email for requisite compliance.* "

उक्त प्रकरण में गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.04.2024, 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को Factual and Action Taken Report तैयार की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी(प्रदूषण) ने अपने पत्र सं0 यू0 के0 पी0 सी0 बी0 / आर0ओ0के0 / 2024 / रिट 90 / 84 दिनांक 18.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जो कि आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय की पत्र सं0 5462 / 29–3 दिनांक 20.05.2024 द्वारा आपको प्रेषित की गई थी।

उक्त रिपोर्ट में कुल 176 वृक्षों जिसमें आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया है। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही करते हुये वन अपराध सं0 03 / काशी0 / 2024–2025 पंजीकृत किया गया है तथा जॉच कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

पत्राक 5504 / दिनांकित

प्रतिलिपि– **प्रमुख वन संरक्षक, (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून** को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक **कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को उनके पत्रांक यू.के.पी.सी.बी / एच. **ओ / सा0183–757 / 2024 / 248 दिनांक 21.05.2024** के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन **संरक्षक,** कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही **हेतु प्रेषित।**

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपरोक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

शाखि अपराध सं० 03/काशी०/2024-25

फार्म संख्या एच. 2

तराई पश्चिमी वन प्रभाग (पश्चिमी वृत) नैनीताल

रामनगर, जिला-नैनीताल

वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 4/10
पुस्तक सं0 6

क्रम संख्या 39

वन अपराध — प्रसूचना संख्या 39/08 दिनांक 21.05.24 राजि काशीपुर

1— नाम, पिता का नाम और निवास स्थान ① काश्तकार श्री सुधीर गुप्ता S/O श्री सुरेश गुप्ता
② नकुल कुमार गुप्ता S/O श्री महेश कुमार गुप्ता
निवासी ग्राम चाँदपुर त० काशीपुर जिला (उधम सिंह नगर)

2— साक्षी का नाम
① श्री ओमप्रकाश वन दरोगा काशीपुर
② श्री जसपाल सिंह वन आरक्षी
③ स्वयं वन बीट अधिकारी

प्राथमिकी सूचना श्रीमान् प्र० व० अ० रामनगर की सेवा में द्वारा उप प्र० वनाधिकारी (काशीपुर) सूचनार्थ प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
काशीपुर रेंज
तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

3— कथित अपराध का पूरा विवरण तथा दिनांक N.G.T. टीम के पत्रांक UKPCB/R.O.K./2024/रिट-90/84 दिनांक 18.05.2024 के अनुपालन के अनुसार दि० 26.05.23 की गणना के अनुसार / सापेक्ष आम के 94 वृक्ष, लीची 57 वृक्ष, तथा नाशपाती के 25 वृक्ष कुल = 176 वृक्ष कम पाया जाना।

वन विभाग

4— मूल्य

5— चालान और अनुसंधान के सम्बन्ध में विशेष कथन — महोदय निवेदन है कि N.G.T. टीम के पत्रांक UKPCB/R.O.K./2024/रिट-90/84 दिनांक 18.05.2024 के अनुपालन के अनुसार दिनांक 26.05.23 को की गई गणना के सापेक्ष आम के 94 वृक्ष, लीची 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष

6— प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख कुल = 176 वृक्ष गणना करने पर कम पाये गये हैं जिनका कोई ठूंठ अथवा किसी किस्म कोई प्रकाष्ठ मौके पर नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकी सूचना [illegible] सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रार्थी
(प्रगति)
वन बीट अधिकारी
काशीपुर बीट
दिनांक 21.05.2024